राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 फोन–0141–2552796 (कार्या.)

क्रमांक प. 1(7) RSMSSB / संस्था / पद स्थापन / 2015/ 784 दिनांक : 3/5/17

–:: <u>विज्ञप्ति संशोधित</u> ::–

इस कार्यालय के पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक प. 1(7) RSMSSB / संस्था / पद स्थापन / 2015/726 दिनांक 28.04.2017 में आवेदन की अंतिम तिथि 15.05.2017 के स्थान पर 18.05.2017 पढा जावे शेष शर्ते यथावत रहेगीं।

(मनीष चौहान)
सचिव

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन: 0141–2552796

क्रमांकः प.1(7)RSMSSB/संस्था/पद स्थापन/2015 / 726 दिनांकः 28.04.2017

विज्ञप्ति

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को स्वीकृत अस्थाई पदों की समयावधि कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.8(22) कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा दिनांक 28.02.2018 तक बढाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बोर्ड में स्वीकृत कुछ आवश्यक पद वर्तमान में रिक्त है। रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों तथा सचिवालय या राजकीय विभागों में सेवारत प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों से निम्नांकित रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैः–

क्र.सं.	पद का नाम	पे–बेन्ड	ग्रेड पे	रिक्त पदों की संख्या
1.	अनुभागाधिकारी	9300–34800	4800/–	01
2.	निजी सहायक(स्टेनों)	9300–34800	3600/–	02
3.	कनिष्ठ लेखाकार	9300–34800	3600/–	03
4.	लिपिक ग्रेड–II	5200–20200	2400/–	09
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200–20200	1750/–	14

सेवानिवृत सरकारी कार्मिकों की सेवाएं संविदा के आधार पर कार्मिक–(क–2) विभाग का परिपत्र क्रमांकः एफ17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर दिनांक 10 फरवरी 2016 की शर्तों के अधीन होगी।

बोर्ड में रिक्त उक्त पदों के विरूद्ध जो भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से 15/5/2017 तक इस विभाग में प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

अन्य विभागों से आने वाले सेवारत राज्य कर्मचारियों के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होगें :–

1. अन्य राजकीय विभागों से आने वाले कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रतिनियुक्ति भत्ता, विशेष भत्ता एवं अन्य सुविधाऐं बोर्ड में पदस्थापन के पश्चात् अनुज्ञेय नहीं होगें।
2. प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाया जावें अथवा नहीं यह निर्णय बोर्ड पर निर्भर करेगा।

सचिव,
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक
सेवा चयन बोर्ड,जयपुर।